

FORM No. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीमाधोपुर (सीकर) राज.

गोपाल

बनाम

ओलागाँव

सु. नं. - 2018

सन्

हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए
<p>1-5-2018</p> <p>हा. नं. हा. 5/2018/1 को 1 ओलागाँव पु. रू. धारा 14 के 1/10 हिस्सा व उन्निगाँव-2 रूपनाथ पु. गणेश का 1/5 हिस्सा के भी कंपनी (कार्टेज) घोषित कर के कांजीगाँव पर मज. शहीनामा प्रस्तुत किया गया; उपपक्षकार के शहीनामा (पोस्टमैन्ट) की शीर्षक कुल (ग्रा. नं. 2018/1) के पं. 47 रचना 2-31/12/12 में वादी का उन्निगाँव-1 ओलागाँव का 1/10 हिस्सा व उन्निगाँव-2 का 2/5 हिस्सा हक व लब्ध (कार्टेज) करार कर घोषित किया गया है। पक्षकार के लक्ष्य कुल (होकर नाम) के कर वी. का रजि. लक्ष्य रहे।</p> <p>नियम: आज दिनांक 01.05.2018 की R.A. NA DA 2018 सं. 14-शही. भारणी में मज. आ. मि. का मय मु. लक्ष्य गया।</p> <p>Om (ब्रह्मलाल गार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)</p>	